



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 भाद्र, 1946 (श०)

संख्या - 564 राँची, मंगलवार, 3 सितम्बर, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

24 जुलाई, 2024

संख्या-03/नि०सं०-09-26/2015 का.- 4832--श्री अजय शेखर, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-479/03) के द्वारा CBI, Case No. RC-03 (A)/2011-R तथा विभागीय कार्यवाही में आरोप मुक्त किये जाने का उल्लेख करते हुए संयुक्त सचिव एवं उच्चतर पद पर उनसे कनीय पदाधिकारियों को प्रदत्त प्रोन्नति की तिथि से उन्हें भी अनुमान्य आर्थिक लाभ सहित प्रोन्नति प्रदान करने हेतु अभ्यावेदन समर्पित किया गया है ।

2. Cr.M.P. No. 3219/2013 अजय शेखर बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.05.2023 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है :-

"34. Considering the aforesaid facts, especially, the judgment of this Court in W.P.(Cr.) No.319 of 2011, arising from the same order and same First Information Report, wherein considering all the aspects in detail against the main accused, a Single Bench of this Court has quashed the proceedings qua the main accused, I am inclined to allow all these applications. Accordingly, the order dated 25.10.2011 passed by the Special Judge, CBI, Ranchi in RC. 03 (A) 2011-R, so far as it relates to the petitioners herein, is hereby quashed."

3. उल्लेखनीय है कि श्री अजय शेखर के विरुद्ध CBI, Case No. RC-03(A)/2011-R दर्ज रहने तथा उक्त से संबंधित विभागीय कार्यवाही संचालित रहने के फलस्वरूप दिनांक 11.02.2015 को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति की अनुशंसा हेतु सम्पन्न प्रोन्नति समिति की बैठक में श्री अजय शेखर के संबंध में समिति द्वारा अनुशंसा मुहरबंद लिफाफा की प्रक्रिया अपनायी गई थी।

4. WP(Cr) No. 319/2011 में दिनांक 27.11.2015 को पारित न्यायादेश में CBI, Case No. RC(03(A)/2011-R द्वारा आपराधिक कृत्य का लिये गये संज्ञान को निरस्त करने संबंधी तथ्यों के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प संख्या 2766 दिनांक 02.04.2019 के द्वारा श्री अजय शेखर को विभागीय कार्यवाही में आरोप मुक्त किया गया है।

5. विभागीय संकल्प सं0 6227 दिनांक 20.11.2008 की कण्डिका 2(vi) में निर्धारित प्रावधान के अनुसार किसी अनुशासनिक मामले/आपराधिक कार्यवाही, जिसमें सरकारी सेवक के विरुद्ध आरोपों को समाप्त कर दिया जाता है अथवा वापस ले लिया जाता है, तो पूर्णतः दोषमुक्त होने की स्थिति में उसकी प्रोन्नति की तारीख मुहरबन्द लिफाफा में रखे गए निष्कर्षों के अनुसार उसके लिए निर्धारित क्रमानुसार तथा उस क्रम में उससे ठीक नीचे के कनीय अधिकारी की प्रोन्नति की तारीख के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी।

6. संकल्प की कंडिका- 2(vi) में निम्न प्रावधान भी निर्धारित है :-

"संबंधित सरकारी सेवक को वास्तविक प्रोन्नति की तिथि से पूर्व वैचारिक (नोशनल) प्रोन्नति की अवधि के लिए बकाया वेतन का भुगतान किया जायेगा अथवा नहीं और यदि हाँ तो किस सीमा तक, इसका निर्णय संबंधित मामले में नियोक्ता प्राधिकार द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही/आपराधिक कार्यवाही के सभी तथ्यों तथा परिस्थितियों पर विचार करते हुए लिया जायेगा। जहाँ कहीं भी प्राधिकार द्वारा वेतन अथवा इसके किसी अंश के बकायों को अस्वीकृत किया जाता है, तो ऐसे निर्णय के कारणों को अभिलेखित (रिकॉर्ड) किया जायेगा। ऐसी सभी स्थितियों का पूर्वानुमान लगाया जाना तथा विस्तृत रूप में निरूपण करना सम्भव नहीं है। जिसके अन्तर्गत वेतन अथवा किसी अंश के बकायों का अस्वीकृत करना जरूरी हो, तथापि उदाहरणार्थ ऐसे मामलों में वेतन भुगतान अस्वीकृत किया जा सकता है। जहाँ कार्यवाही (चाहे अनुशासनिक या आपराधिक) में स्वयं सरकारी सेवक के अनुराध के कारण विलम्ब हुआ हो अथवा जहाँ अनुशासनिक कार्यवाही में दी गई विमुक्ति (क्लियरेंस) या आपराधिक कार्यवाही में दोषमुक्ति (एक्वीटल) संदेह-लाभ के कारण हो, अथवा साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण हो और जिस संबंधित कर्मचारी के कृत्यों से जोड़ा जा सके।"

7. विभागीय संकल्प संख्या 6227 दिनांक 20.11.2008 की कंडिका-2(vi) में निर्धारित उपर्युक्त प्रावधान के आलोक में मुहरबंद लिफाफा को खोले जाने की कार्रवाई के क्रम में पाया गया कि दिनांक 11.02.2015 को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही के क्रमांक-22 में श्री अजय शेखर के नाम के सम्मुख

मुहरबंद लिफाफा की प्रक्रिया अपनाये जाने का उल्लेख है परन्तु श्री शेखर के संबंध में विभागीय प्रोन्नति समिति कि अनुशंसा मुहरबंद नहीं कि गयी है तथा यह खुले में बैठक की कार्यवाही के साथ संलग्न है, जिसमें समिति द्वारा "योग्य" की अनुशंसा की गई है।

8. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर Cr.M.P. No. 3219/2013 अजय शेखर बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 05.05.2023 को पारित न्यायादेश की कंडिका-33 में माननीय न्यायालय द्वारा निम्न observation दर्ज किया गया है:-

"I find that the overt act alleged can, at best, be said to be a negligence or may be an act which can call for a disciplinary proceeding for ignoring the laws, but, there is nothing to suggest that the same was done with criminal intent or was done in exchange of any illegal gratification or benefit".

इस प्रकार माननीय न्यायालय ने Cr.M.P. No. 3219/2013 से संबंधित मामले में श्री शेखर के स्तर से लापरवाही से इन्कार नहीं किया है।

9. विभागीय अधिसूचना संख्या 1306 दिनांक 12.02.2015 के द्वारा श्री अजय शेखर, से०नि० झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-479/03, अनारक्षित कोटि) से कनीय श्री अनिल कुमार राय, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-480/03, अनारक्षित कोटि) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान की गई है।

10. अतः वर्णित तथ्यों के सम्यक समीक्षोपरांत श्री अजय शेखर, से०नि० झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-479/03, अनारक्षित कोटि) को उनसे कनीय श्री अनिल कुमार राय, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-480/03, अनारक्षित कोटि) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में प्रदत्त प्रोन्नति की तिथि 12.02.2015 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान किया जाता है।

11. झारखण्ड सेवा संहिता के नियम- 58 एवं झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 74 के आलोक में वैचारिक प्रोन्नति की अवधि के लिए बकाया वेतन देय नहीं होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार पासवान,
सरकार के अवर सचिव।
